हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 28 .07.2009 को हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटिड, शौंगटोंग करछम (पोवारी रल्ली) 402 MW जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण ।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण **नियंत्रण** बोर्ड द्वारा दिनांक **28 .07.2009** को प्रातः 11:00 बजे **शौंगटोंग करछम (पोवारी रल्ली) 402 MW जल विद्युत परियोजना गांव पोवारी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर में जल विद्युत परियोजना** के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.सी. 1533दिनांक **14.09.2006** के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिलाधीश किनौर की अध्यक्षता में किया गया । इस जन.सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची **Annexure No.1** पर उपलब्ध हैं । सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदुषण नियत्रंण बोर्ड, के प्रतिनिधि द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत करावाया गय। उपस्थित जन समुदाय को कहा कि वो इस जन सुनवाई में निर्भय होकर अपने विचार, आपत्तियां व सुझाव रखें । इसके बाद परियोजना प्रस्तावकों एवं उनके तकनीकी परामर्शदाता के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के विस्तृत पर्यावरण-प्रभाव निर्धारण के बारे में भी अवगत करवाया गया । अंत में कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि ने उपस्थित जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में सहयोग मांगा तथा कार्पोरेशन द्वारा क्षेत्र के विकास में यथासम्भव सहयोग दिए जाने को कहा तथा उपस्थित जनता के प्रति आभार व्यक्त किया ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई आरंभ की गई । इस जन सुनवाई में उठाए गए मुद्दों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Additional District Magistrate
Poo, [illegible] Kinnaur (H.P.)

क्रमांक	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1	**<u>जिया लाल नेगी, गांव कल्पा</u>**	
	1) परियोजना प्रभावित परिवारों की सख्या 158 बताई है, जबकि शुरु में बनायी गयी पुर्नवास व पूर्नस्थापना योजना के तहत 438 दर्शाया गयी हैं। इसलिए कल्पा व शुदारंग के सभी ग्राम वासियों को जब तक प्रभावित परिवारों की सूची मे पुनः न रखने पर इस रिपोर्ट को अन्तिम रुप न दिया जाए।	यह मुद्दा पुर्नवास व पूर्नस्थापना योजना के तहत एंव प्रबन्ध निदेशक, H.P.P.C.L. के विचाराधीन है।
	2) परियोजना स्थल पर सतलुज के दाहिने ओर कल्पा व शुदारंग ग्राम वासियों का सदियों पुराना शमशान घाट मौजूद हैं जहां पर डंपिंग साइट No. 3 का बोर्ड लगा हैं पर कमेटी को आपति हैं इस सूरत में हमारा शमशान घाट कहां होगा।	परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि शमशान घाट को सुरक्षित रखा जाएगा।
	3) तांगलिंग नाला और सतलुत नदी के संगम स्थान पर सदियों से स्थानिय देवी देवताओं के मुर्तियो व अन्य सामग्री का शुद्धीकरण होता आया है जो कि हमारे पारम्परिक अधिकार भी हैं। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए इस स्थल को सुनियोजित तरीके से बनाया जाए। **प्रतिलिपी Annexeture No.2 में संलग्न है।**	परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस स्थल को सुनियोजित तरीके से बनाया जाएगा।
2.	**<u>सुनील कुमार नेगी कल्पा</u>** एम. डी . एच.पी.पी.सी.एल. ने 2 जून 2009 की सभा में 438 परिवारों को परियोजना प्रभावित परिवार में लेने की बात कही थी जिसकी लिखित सूचना अभी तक प्राप्त नही हुई है।	यह मुद्दा पुर्नवास व पूर्नस्थापना योजना के तहत एंव प्रबन्ध निदेशक, H.P.P.C.L. के विचाराधीन है।
3.	**<u>वीनय नेगी, गांव युला</u>**	
	1) ए. डी. एम. किन्नौर से यह जानना चाहा कि जनजातिय क्षेत्र किन्नौर में आय के स्त्रोत क्या है।	ए. डी. एम. किन्नौर ने सेब, चिलगौजा, बादाम, जीरा, फापरा, औगला आदि जनजातिय क्षेत्र की आय के मुख्य साधन बताया है।
	2) वन उत्पाद भी आय का स्त्रोत है जो कि परियोजना के बनने से प्रवाहित होगें, इसलिए परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची में सभी किन्नौर के लोगो को शामिल किया जाए।	कोई टिप्पणी नहीं
	3) Desilting से Down stream परियोजना पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन नही किया गया।	अध्ययन किया जाएगा।
	4) बलास्टींग से चश्मो व Biodiversity पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन नही किया गया।	अध्ययन किया जाएगा।
	5) Project viability का अध्ययन सही तरीके से	परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	नही किया गया है क्योंकि इसके लिए केवल 10 वर्षो के ही आंकडे के आधार पर अध्ययन हुआ है।	द्वारा बताया गया कि इसका सही ढंग से अध्ययन किया गया है।
4.	**<u>आर. एस. नेगी, ग्राम नेसंग</u>** 1) परियोजना के प्रर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट की कार्यवाही सार रिर्पोट की नक्शा (Figure No. 1) के अनुसार शौंगठोंग - करछम् जल विद्युत परियोजना का एलाईनमैंट सतलुज नदी के दाहिनी ओर से दिखाया गया है जब कि नक्शा (Figure No. 2) के अनुसार इस की एलाईनमैंट सतलुज नदी के बांई और दिखाया गयी है । 2) ई.आई.ए. रिपोर्ट के पैरा 7.5 व पृष्ठ क्रमांक 7-18 में कहा गया है कि परियोजना के लिए रेता और बजरी जंगी गांव के नजदीक क्वैरी से लाया जायेगा और इस क्वैरी का इस्तेमाल करछम-वांगतू परियोजना के लिए भी किया गया था जो कि सरासर गलत है । करछम-वांगतू परियोजना के लिए रेता-बजरी जंगी रेताखान से आजतक नहीं लाया गया है । इन त्रुटियों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाने वाली एजेंसी कितनी लापरवाह है और इस तरह के रिपार्ट में दिये गये तथ्यों व आंकडों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है ।	इसे ठीक किया जाएगा। जैसा ई.आई.ए. रिपोर्ट के पैरा 7.5 व पृष्ठ क्रमांक 7-18 में कहा गया है रेता और बजरी जंगी गांव के नजदीक क्वैरी से ही लाया जायेगा। करछम-वांगतू परियोजना के बारे में कोई टिप्पणी नही ।
	2). डम्पिंग साईट:- इस परियोजना निर्माण से निकलने वाला मलवा निवारण के लिए जो स्थल निश्चित किये गये हैं वे सभी स्थल सतलुज नदी के किनारे दिखाया गया है अर्थात् डम्पिंग फलड जोन में किया जायेगा । ई.आई.ए. रिपोर्ट व इ.एम.पी. में कहीं भी डम्पिंग स्थल का डिजाईन नहीं दिया गया। डिजाईन द्वारा यह दिखाया जाना अनिवार्य है कि मलवा हाईएस्ट फलड लेबल (H.F.L) से कितना दूर होना चाहिए और डम्प किये गये मलवे की ढलान कितनी डिग्री होनी चाहिए ? वास्तव में हिमाचल सरकार के आदेशानुसार नदी के H.F.L से 10 मी0 दूर और डम्प किये गये मलवे की ढलान 25 डिग्री होनी चाहिए । प्रत्येक साईट की डिजाईन उपलब्ध न होने के कारण वैज्ञानिक डम्पिंग की कल्पना नहीं की जा सकती ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि मलवा निवारण निधारित माप दण्डो द्वारा किया जाएगा तथा Civil Engineering द्वारा स्वीकृत उपायों द्वारा H.F.L. से उपर सुरक्षित स्थान पर किया जाएगा।
	3). <u>टी0बी0एम0का प्रयोग:-</u> भूमिगत सुरंगों के निर्माण में भारी ब्लास्टिंग के कारण किन्नौर के अत्यन्त संवेदनशील भूभाग को भारी क्षति पहुंच रही है । यदि भूमिगत सुरंगों का निर्माण टी0बी0एम0 द्वारा किया जावे तो भूमिगत सुरंगों के ऊपर स्थित गांवों व संसाध्नों को क्षति होने से बचाया जा सकता है । कुल्लू घाटी की पार्वती जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में टी0बी0एम0 का प्रयोग किया जा रहा है । टी0बी0एम0 के प्रयोग के सम्भावनाओं के बारे में टी0बी0एम0 रिपोर्ट में	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भौगोलिक आंकलन के आधार पर टी0बी0एम0 के प्रयोग पर विचार किया जाएगा।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	जिक्र तक न होना आश्चर्यजनक बात है । अतः हमारा सुझाव है कि किन्नौर में बनने वाले सभी परियोजनाओं के निर्माण में नुकसान के दृष्टिगत टी0बी0एम0 का प्रयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।	
	4). <u>भूकम्पीयता के खतरे :-</u> किन्नौर क्षेत्रा भूकम्पीय मानचित्रा में जोन क्रमांक-4 में स्थित है । किन्नौर में अतीत में अत्यन्त तीव्रता वाले भूकम्प आ चुके हैं और भारी जान-माल की क्षति हुई है । भूकम्पीयता की दृष्टि से किन्नौर में बृहद जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना खतरे से खाली नहीं है ? इस बारे ई0आई0ए0 व ई0एम0पी0 में न तो वैज्ञानिक पक्ष रखा गया है और न ही सुरक्षात्मक व्यवस्था का कोई जिक्र है जबकि परियोजनाओं के सभी स्ट्रक्चरों के बारे में सक्षम प्राध्किरण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है । अतः इस बारे में आवश्यक कार्यवाही की जावे ।	इसका अध्ययन ई0आई0ए0 में Page No. 4.6-4.8 में किया गया है।
	5).<u>सतलुज में संभावित जल संकट</u> :- चीन के साथ जल संधि न होने के कारण बेसिन में बनने वाली परियोजनाओं के अस्तित्व खतरे में पड सकते हैं । चीन-सतलुज नदी पर अनेकों बांध बना चुका है और सतलुज के पानी को पूर्वी तिब्बत की ओर मोडने की योजना बना रहा है और इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन के कारण नदी में पानी की मात्राा घटने से इन बडी-बडी जल विद्युत परियोजनाओं के भविष्य व अर्थक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है । वैज्ञानिकों ने चेताया है कि ग्लेशियरों के पिघलने से वर्ष 2050 तक हिमालय की सभी नदियां सूख जायेंगी । आज भी सतलुज नदी पर बनी परियोजनाएं पानी के कम बहाव के कारण हांपने लगी है । ई0आई0ए0 व ई0एम0पी0 में इस गम्भीर मुददे पर कोई चर्चा नहीं की गई है । इस बारे एक विस्तृत समीक्षा का होना अत्यन्त आवश्यक है ।	कोई टिप्पणी नही
	6).<u>वैकल्पिक परियोजना स्थल बारे</u> :- परियोजना के बांध निर्माण हेतू विकल्पों के बारे में चर्चा की गई है उसमें विकल्प संख्या -1 जिसमें शौंगठोंग पुल के पास बांध बनाकर सतलुज के दाहिनी ओर सुरंग बनाकर करछम के पास पावर हाऊस बनाने की योजना थी । वास्तव में यह स्थल अन्य विकल्पों की अपेक्षा सर्वोतम माना जा सकता है,लेकिन आकलनकर्त्ता एजेंसी ने इस स्थल को इसलिए अस्वीकृत किया है क्योंकि इस स्थल के नजदीक सेना के कैम्प मौजूद है । पर्यावरण संरक्षण एवं लोगों की सम्पति बचाने जैसे व्यापक हितों के मध्यनजर सेना के कैम्प को अन्यत्रा स्थानान्तरित किया जा सकता था । क्या इस बारे पुर्नविचार किया जा सकता है ?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि तकनीकी आधार पर इसे सबसे उत्तम पाया गया इसलिए इसका निर्माण बायीं ओर ही किया जाएगा।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	7).धर्मिक स्थल किन्नर कैलाश व शिवलिंग को क्षति पंहुचने की सम्भावना:- परियोजना के हैड रेस टनल शिवलिंग व किन्नर कैलाश पर्वत के नीचे से गुजर रही है । सुरंग निर्माण में भारी ब्लास्टिंग के कारण चट्टान का बना अद्वितीय शिवलिंग को क्षति पहुंचने की पूरी-पूरी सम्भावना है । यदि ऐसी घटना घटती है तो इससे समस्त श्रद्धालुओं की भावना आहत होगी । इसी तरह किन्नर कैलाश पर्वत श्रृंखला में मौजूद हिमखंड के टूटने से व पिघलने से अधेप्रवाह क्षेत्राे में भयानक बाढ की स्थिति पैदा हो सकती है । ई.आई.ए. व ई.एम.पी. में इस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है । इस बारे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।	अध्ययन से यह पाया गया कि ऐसी कोई भी सम्भावना इसमें नही दिखती हैं।
	8).जोखिम भरा क्षेत्रा :- सतलुज जल संग्रहण क्षेत्रा एक अत्यन्त जोखिम भरा क्षेत्रा है क्यों कि इसके जल संग्रहण क्षेत्रा का 90% भाग शीत मरूस्थलीय क्षेत्रा में स्थित है जिससे अधिक बर्फभारी एवं बादल फटने की स्थिति में सतलुज नदी में भारी बाढ आती है । इसका जीता-जागता उदाहरण सन् 2000 व 2005 की बाढ है । क्या सतलुज नदी पर बनने वाली जल विद्युत परियोजनाएं उक्त स्थिति में सुरक्षित रहेंगी ? क्या इस परियोजना के कारण बाढ की स्थिति और गम्भीर नहीं होंगी ? ई0आई0ए0 और ई0एम0पी0 में भी इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है और न ही कोई उपाय योजना सुझाये गये हैं ।	इसकी आपदा प्रबन्धन योजना बनायी जाएगी।
	9). राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा:- किन्नौर जिला एक सीमावर्ती जिला होने के नाते राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक अत्यन्त संवेदनशील व सामरिक महत्व रखता है । इस क्षेत्रा में वृहद् जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है । सीमा पर चीन की सामरिक तैयारी के मध्यनजर सीमांत क्षेत्राे में सुरक्षा सम्बन्धी लापरवाही कतई न्यायोचित नहीं है । इन क्षेत्राें में परियोजनाओं के निर्माण के लिए रक्षा व गृहमंत्रालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्रा प्राप्त करना अनिवार्य है लेकिन ई. आई.ए. व ई.एम.पी. इस महत्वपूर्ण विषय को नजर अंदाज किया गया है । अतः हमारा सुझाव है कि पर्यावरण मंत्रालय को इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने से पहले रक्षा व गृहमन्त्रालयों से अनापति प्रमाणपत्रा प्राप्त करना अनिवार्य किया जावे ।	कोई टिप्पणी नहीं ।
	10).अनुसूचित क्षेत्रा (Scheduled Area):- **किन्नौर में जनजातीय कानूनों की अनुपालना :-** किन्नौर जिले के संविधन की धारा 244(1) के तहत शैडयूल एरिया घोषित कर पांचवी अनुसची के अन्तर्गत लाया गया है और इस क्षेत्रा को एक	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जन सभा के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये इन सभी सुझावों का

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	सशक्त संवैधनिक व वैधनिक सुरक्षा प्रदान की गई है । ;हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर ऑफ लैंड (रेगुलेशन) अधिनियम 1968 की धारा 3, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA) की धारा -4 a,d,c,k,l तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी ; (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा -3 ;1), की (b), (c), (d), (c), (f) व k तथा धरा-5 के तहत अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण व वनभूमि तथा वन अधिकारों के हस्तांतरण के लिए सम्बन्धित ग्राम सभाओं की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त संविधान की अनुच्छेद 38,39,46, 47, 48&A, 51-A आदि द्वारा भी जनजातीय लोगों को संवैधनिक संरक्षण दिया गया है लेकिन परियोजना प्रस्तावक व आकलनकर्त्ता एजैंसी ने इस महत्वपूर्ण विषय को ई.आई.ए व ई.एम.पी. में पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक व गंभीर विषय है । अतः हमारा सुझाव है कि इस विषय पर ई.आई.ए व ई.एम.पी. व अन्य दस्तावेजों पर एक विस्तृत चर्चा की जावे और उपरोक्त संवैधनिक व वैधनिक प्रावधनों की अनुपालन के लिए उचित व समय पर कार्यवाही की जावे ।	अनुसरण किया जाएगा।
	11). <u>आपदा प्रबंध्न योजना (डी.एम.पी.)</u> :- किन्नौर में स्थित सतलुज जल संग्रहण क्षेत्रा एक अत्यन्त जोखिम भरा क्षेत्र है यहां पर प्राकृतिक आपदाएं विशेष कर अचानक बाढ व ग्लेश्यिर आते हैं जैसे कि 1988,1993, 1997, 2000 व 2005 में सतलुज व इसकी सहायक नदियों में प्रलयंकारी बाढ आई थी जिसमें जान-माल की भारी हानि हुई थी । इसी तरह यह एक अत्यन्त संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्र होने के कारण यहां अत्यन्त तीव्रता वाले भूकम्प भी आते रहते हैं । इस प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना का होना अत्यन्त आवश्यक है, लेकिन उपरोक्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि इस परियोजना के लिए आपदाप्रबंध्न योजना नहीं बनाई गई है । अतः हमारा सुझाव है कि इस परियोजना के लिए एक सशक्त व त्राुटिरहित आपदा प्रबंध्न योजना बनाई जाये और इसे ई0 आई0 ए0 रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग माना जावे ।	इसकी आपदा प्रबन्धन योजना बनायी जाएगी।
	12).<u>प्रभावित ग्रामीणों से परामर्श</u> :- एशियन डवल्पमैंट बैंक के गाईडलाईन्स के मुताबिक परियोजना के दस्तावेज- डी.पी.आर., ई.आई.ए. , ई.एम.पी. व आर एण्ड आर प्लान बनाते समय कम से कम दो बार प्रभावित क्षेत्रा के ग्रामीणों से परामर्श व विचार	यह ई.आई.ए. , ई.एम.पी. रिर्पोट MOEF द्वारा निर्धारित TOR के आधार पर बनाई गई है। आर एण्ड आर प्लान राज्य सरकार की पूर्नवास

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	विनिमय करने बारे निर्देश दिये गये हैं लेकिन इस बारे इन उपरोक्त दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं है और न ही इन परामर्शों की प्रक्रिया के दौरान दिये गये सुझावों व आपत्तियों को इन दस्तावेजों में शामिल किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक ने ग्रामीणों से परामर्श नहीं ली है या परामर्श के दौरान दिये गये सुझावों व आपत्तियों को इन दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है। इस बारे स्पष्ट खुल्लासा होना अत्यन्त आवश्यक है।	एंव पूर्न स्थापना नीति 2006 के आधार पर तैयार किया गया है।
	13). **विश्व बैंक की सिफारिशें:-** वर्ष 2006-2007 में हिमाचल व उत्तराखण्ड सरकारों के अनुरोध पर विश्व बैंक ने आस्ट्रेलिया की हाईड्रोत्स्मानिया कम्पनी द्वारा सतलुज व अलकनन्दा नदियों के जल संग्रहण क्षेत्रा विकास पर अध्ययन करवाया है जिसकी रिपोर्ट विश्व बैंक ने हिमाचल सरकार को वर्ष 2007-08 में सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की है और परियोजनाओं में पर्यावरण संरक्षण व लोगों के अधिकारियों के बारे विशेष बल दिया है। इस रिपोर्ट में व्यक्तिगत परियोजना नियोजन की बजाय सम्पूर्ण बेसिन पर पडने वाले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने की सिफारिश की है। इस परियोजना के E I A और E M P में किन्नौर में बनने वाली अन्य परियोजनाओं के एकत्रित (Cumulative Impact) के बारे कहीं भी उल्लेख नहीं है। इस परियोजना के डाऊन स्ट्रीम में 1000 मेगावाट करछम-वांगतू परियोजना और अपस्ट्रीम में 243 मैगावाट काशंग और 100 मैगावाट टिडोंग-1 परियोजनायें निर्माणाधीन है और 960 मैगावाट जंगी-ठोपन -पवारी जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इसके अतिरिक्त अनेक लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य हो रहा है या होने जा रहा है। इन परियोजनाओं के प्रभावित क्षेत्रा, सतलुज, की तंग घाटी में स्थित होने के कारण इन सभी परियोजना ओं के एकत्रित प्रभाव (Cumulative Impact) अत्यन्त गम्भीर होंगे जबकि EIA व EMP में इस स्थिति को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया गया है जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है।	यह ई.आई.ए. , ई.एम.पी. रिर्पोट MOEF द्वारा निर्धारित TOR के आधार पर बनाई गई है। इसमें Cumulative Impact का अध्ययन नही किया गया है।
	14.) **खनन व क्रेशर प्लांट:-** ई.आई.ए. रिपोर्ट के पैरा 7.2.1 (II) के अनुसार परियोजना क्षेत्रा में दो क्रेशर प्लांट लगाये जायेंगे लेकिन ये दो क्रेशर प्लांट कहां व कौन सी जगह पर लगाई जाएगी इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। क्रेशर प्लांट के लिए स्थल का चयन ई.आई.ए. रिपोर्ट में दर्शाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे इस प्लांट से होने वाला प्रदूषण का सही आकलन किया जा सके। जहां तक खनन का सवाल है ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख है	परियोजना से निकलने वाले मलवे का प्रयोग बजरी बनाने के लिए किया जाएगा तथा स्टोन कैशर लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित Siting Criteria के अनुसार किया जाएगा तथा इससे होने वाले प्रदुषन की रोकथाम के लिए

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	कि रेता-बजरी जंगी रेता खान से लाया जाएगा । रेता-बजरी रेताखान जंगी से लाना क्या व्यवहारिक व किफायतशीर होगा ? क्यों कि जे.पी. कम्पनी ने भी इस समस्याओं के मध्यनजर रेता-बजरी जंगी रेता खान से नहीं लाया है । अत: इस बारे अधिक खुलासा करने की जरूरत है ।	E.P.A. में दर्शाए गए माप दण्डो का अनुसरण किया जाएगा।
	15.) वन अधिकार :- भारतीय संसद द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यताद्ध अधिनियम 2006, 01 जनवरी 2008 से जम्मू-कश्मीर को छोड सम्पूर्ण भारत में लागू हो गया है । इस कानून के लागू हो जाने से अब जनजातीय लोगों के वनभूमि व वनभूमि सम्बन्धी संसाधनों पर परम्परागत अधिकारों को कानूनी जामा पहना दिया गया है यानि अब यह अधिकार कानूनी अधिकार होंगे । जनजातीय क्षेत्रा किन्नौर में वन भूमि पर जनजातीय लोगों का परम्परागत बर्तनदारान अधिकार बंदोबस्त के अभिलेखों में दर्ज है । वन बन्दोबस्त 1927 के अभिलेखों में स्थानीय लोगों का अधिकार दर्ज है इन कानूनी अधिकारों का अधिग्रहण व हस्तांतरण ग्राम सभाओं की सहमति से ही किसी कानूनी पद्वति(Due process of law) द्वारा किया जा सकता है । अन्यथा जनजातीय लोगों को इन अधिकारों से वंचित करना गैर कानूनी व असंवैधनिक होगा । इस परियोजना की पुर्नवास व पुर्नस्थापना योजना के पैरा 6.3 में उल्लेख किया गया है कि जनजातीय लोगों को अपने परम्परागत अधिकारों के क्षति के लिए 500 दिनों का न्यूनतम मजदूरी एक मुशत किया जायेगा यह प्रावधान अत्यन्त अल्प है, क्यों कि इन क्षेत्रों में परम्परागत अधिकारों से लोगों की सतत् आय होती है । इस बारे एक व्यापक कानूनी पद्वति बनाया जाना अति आवश्यक है ताकि जनजातीय लोगों के अधिकारे की क्षति की भरपाई ठीक ढंग से हो सके ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना HPPCL द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृत करायी गई है जिसकी स्वीकृती संख्या Rev(PC)A(10)-7/2008 Dated 19-01-2009 है। इस के आधार पर अधिकारे की क्षति की भरपाई की जाएगी
	16.) 2% रौयल्टी:- भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जल-विद्युत नीति 2008 के पैरा 10(h) के अनुसार स्थानीय क्षेत्रा विकास के लिये उत्पादित विद्युत का 2% वार्षिक मुफत बिजली बतौर रोयल्टी देने का प्रावधन किया गया है । इसमें 1% परियोजना प्रबन्धन मुफत बिजली देगा और राज्य सरकार 12% मुफम बिजली में से 1% मुफत बिजली स्थानीय विकास कार्यों के लिये देगी । यह 2% मुफत बिजली परियोजना के सम्पूर्ण कालं अवधि पर्यन्त दिया जाएगा, लेकिन शौंगठोंग-करछम परियोजना के ?? प्लान के पैरा 7-1 में 100 यूनिट मुफत बिजली प्रतिमाह 10 वर्षो तक परियोजना प्रभावित परिवारों को देने बारे जिक्र किया गया है लेकिन उपरोक्त 2% मुफत बिजली बतौर रौयल्टी देने बारे कोई जिक्र नहीं है, इसका क्या	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह मुददा राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	कारण है? यह 2% मुफत बिजली बतौर रैयल्टी देने का प्रावधन R&R प्लान में शामिल किया जावे ।	
	17)- <u>हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत नीति 2006</u>:- हिमाचल प्रदेश जल-विद्युत नीति 2006 के अनुसार कुल परियोजना लागत का 1.5% % राशि लाडा (LADA) में जमा करने, बांध के अधेप्रवाह में 15% पानी छोड़ने और परियोजना में 70% रोजगार हिमाचलियों को देने का प्रावधन किया गया है । परियोजना के R&R प्लान के पैरा 8-3 में 1.5% राशि लाडा (LADA) मे जमा करने बारे उल्लेख किया गया है, लेकिन 15% पानी अधेप्रवाह में छोड़ने बारे और 70% रोजगार हिमाचलियों को देने बारे कहीं भी उल्लेख नहीं है । इस बारे विस्तृत व स्पष्ट खुलासा होना अत्यन्त आवश्यक है ।	राज्य सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना के अनुसार परियोजना लागत का 1.5% % राशि लाडा (LADA) में जमा करने, बांध के अधेप्रवाह में 15% पानी छोड़ने और परियोजना में 70% रोजगार हिमाचलियों को देने का प्रावधन किया गया है ।
	18) .<u>ट्रांसमिशन लाईन</u>:- जल-विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत को क्षेत्रा से बाहर ले जाने के लिये ट्रांस्मिशन लाईन की आवश्यकता होती है । इस ट्रांसस्मिशन लाईन के निर्माण आदि के बारे में कोई विस्तृत चर्चा EIA व EMP में नहीं की गई है । शौंगठोंग-करछम परियोजना के लिये एक अलग ट्रांस्मिशन लाईन बिछाई जाएगी या एकत्रित ग्रिड में शामिल किया जाएगा, इसका खुलासा नहीं किया गया है । ट्रांस्मिशन लाईन के लिये पर्यावरणीय व वन स्वीकृति परियोजना के साथ ली जाएगी या इसके लिये अलग से प्रस्ताव भेजा जाएगा? इस का स्पष्ट खुलाना किया जाये ।	यह ई.आई.ए., ई.एम.पी. रिर्पोट MOEF द्वारा निर्धारित TOR के आधार पर बनाई गई है। रल्ली से वांगतु तक अलग ट्रांस्मिशन लाईन बिछाई जाएगा।
	19) .<u>रनऑफ दि रिवर परियोजना</u>:- हिमाचल क्षेत्रा में बहने वाली नदियों पर बन रही जल-विद्युत परियोजनाओं को रन ऑफ दि रिवर परियोजनाएं कहा जाता हे, लेकिन रन ऑफ दि रिवर वाक्य की परिभाषा कहीं भी नहीं की गई है । नदी पर बांध बना कर लम्बी-लम्बी भूमिगत सुरंगों द्वारा नदी के पानी को मोड़ कर बिजली उत्पादित करने वाली परियोजनाओं को रन ऑफ दि रिवर (Run of the river) परियोजना के शाब्दिक अर्थ से मेल नहीं खाता है । अतः इस Run of the river वाक्य को परिभाषित करना अति आवश्यक है । आज के वैज्ञानिकों ने बिना बांध व सुरंग के विद्युत उत्पादन की नई-नई तकनीक को खोज निकाला है । सरकार द्वारा इन तकनीकों का उपयोग हिमालय के अति संवेदनशील क्षेत्राों में क्यों नहीं किया जा रहा है? इस विषय पर खुलासा भी EIA REPORT में किया जाना चाहिए ।	कोई टिप्पणी नहीं

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	20) .जल-विद्युत परियोजना का हस्तांतरणः- आम तौर पर देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि0 परियोजना में वांछित स्वीकृतियाँ (Clearance) प्राप्त करने के बाद परियोजना को किसी निजी कम्पनी को हस्तांतरित करता है। ऐसी स्थिति में निजी कम्पनियों को जनजातीय कानूनों के तहत पुनः ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रत्रा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अतः सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक/कम्पनी समय से पूर्व सूचित रहे।	हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि0 परियोजना निजी कम्पनियों को परियोजना हस्तांतरित नही करेगी।
	21). परियोजना प्रभावित परिवार की परिभाषाः- शौंगठोंग-करछम जल-विद्युत परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना (R&R) के पैरा 3-5 (II) के तहत परियोजना प्रभावित परिवार को परिभाषित किया गया हे और पैरा 3-5 (II) के तहत मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार (Main Project Affected Family) को परिभाषित किया गया है। इन दोनों प्रकार के परियोजना प्रभावित परिवारों की परिभाषा भ्रम पैदा करने वाली है। मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार की परिभाषा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2007 में नहीं की गई है। इस प्रकार अलग-अलग परिभाषा करने से भम्र की स्थिति का निर्माण होता है और यह भी समझ से परे है कि इस तरह अलग-अलग परिभाषा देने से प्रभावित परिवारों को क्या लाभ मिलने वाला है। अतः इस बारे स्पष्ट खुलासा होना जरूरी है।	पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना HPPCL द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार से स्वीकृत करायी गई है जिसकी स्वीकृती संख्या Rev(PC)A(10)-7/2008 Dated 19-01-2009 है। अतः मुख्य परियोजना प्रभावित परिवार और परियोजना प्रभावित परिवार की परिभाषा स्पष्ट है इसमें कोई भ्रम नही है।
	22.) शिल्ती रोड़ निर्माण बारेः- करछम से रिकांग पिओ तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग 22 का एक वैकल्पिक सड़क ;शिल्ती रोड़ द्ध निर्माणाधीन है। इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर, करछम से रिकांग पिओ तक की सड़क यातायात, इस परियोजना के कारण जो असुविध वर्तमान सड़क में होगी, उससे बचा जा सकता है। करछम से शौंगठोंग के बीच राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर लाल ढांक तथा रलीनाला ग्लेशियर अत्यन्त संवेदनशील व समस्या पैदा करने वाले स्थान है और परियोजना निर्माण में भारी ब्लास्टिंग के कारण इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में हिम स्खलन व भू-स्खलन होगी, जिससे सड़क यातायात में बहुत बाधयें आएगी। इसलिये परियोजना निर्माण कार्य शुरू करने से पहले शिल्ती सड़क यातायात के लिये अवश्य बहाल होना चाहिए। अतः यह हमारा सुझाव है कि हि0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 अपने इन्फरास्ट्रकचरल डब्लपमैन्ट स्कीम के तहत शिल्ती सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करे।	कोई टिप्पणी नही
	23) .वायु प्रदूषण बारेः- ई0आई0ए0 रिपोर्ट के पैरा 4-9 और पृष्ठ क्रमांक 4.27, 4-28 पर परियोजना निर्माण स्थलों	परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इसका अध्ययन

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	पर मौजूदा वायु प्रदूषण की मात्रा दिखाई गई है। सर्वे के दौरान NO_X Level सामान्य स्टैंडर्स 80 माईक्रोग्राम प्रतिघनमीटर के मुकाबले में 5 माईक्रोग्राम घनमीटर से कम दिखाया गया है और SO_2 की Level भी 80 के मुकाबजे 5 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर से कम है। इसी तरह वायु में SPM की मात्रा सर्वे के दौरान 102-3 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर और 145-1 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर के बीच पाया गया जो सामान्य स्टैन्डर्स 200 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर के मुकाबले काफी कम है और RPM की मात्रा सामान्य स्टैन्डर्स 100 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर के मुकाबले 49.2 माईक्रोग्राम प्रति घनमीटर से कम पाया गया है लेकिन ई0आई0ए0 रिपोर्ट में परियोजना निर्माण के दौरान वायु में उपरोक्त तत्वों में कितनी वृद्वि आएगी, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं की गई है। एक अहम बात यह है कि मौजुदा वायु की गुणवता में जो फल व अन्य उपज इन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है, क्या ये फल व अन्य फसलें वायु प्रदूषण की वृद्वि आने पर उत्पन्न होगी? दूसरे शब्दों में परियोजना निर्माण के कारण जो वायु प्रदूषण होगा उससे क्या ये फसलें प्रभावित नहीं होंगे? इसका वर्णन ई0आई0ए0 व ई0एम0पी0 में कहीं नहीं मिलता है।	किया गया है।
	-यदि प्रभावित होता है तो क्या परियोजना प्रबन्धन लोगों की इस नुकसान की भरपाई करेगा? क्या इस प्रदूषण से मनुष्य और अन्य जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा? उपरोक्त सभी तथ्यों पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है	परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य के दौरान आंकलन करके यदि नुकसान पाया गया तो उसकी भरपाई की जाएगी।
	24.) <u>पानी के स्त्रोत व मकान आदि को क्षति</u>:- भूमिगत सुरंगों के निर्माण के दौरान भारी ब्लास्टिंग के कारण पानी के प्राकृतिक स्त्रोत सूख जायेंगे, मकान व बगीचे आदि क्षतिग्रस्त होगें और भारी भू-स्खलन होगें। इस बारे ई0आई0ए0 व ई0एम0पी0 में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है और न ही इन सम्पतियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कोई उपाय सुझाये गये हैं और यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि लोगों की नुकसान की भरपाई किस ढंग से किया जाएगा?	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा कहा गया कि पानी के बहाव को मापा जायेगा और इसका चल चित्र (Video Graphing) निर्माण कार्य शुरू होने से पहले किया जायेगा। इस कार्य के लिए कमेटी का गठन होगा जिसमें जल विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत के प्रतिनिधि व परियोजना प्रस्तावक भी होंगे। और यदि कोई क्षति होती है तो परियोजना प्रस्तावको द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।
	25) <u>जमीनों का मुआवजा</u>:- परियोजना के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण करना प्रस्तावित है, लेकिन स्थानीय लोगों को भूमिअधिग्रहण अधिनियम के तहत दिया जाने वाला मुआवजा	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि निजी भूमि का अधिग्रहण Negotiation के आधार पर

Additional District Magistrate
Poo...

	स्वीकार्य नहीं है । लोगों की मांग है कि भूमि का मुआवजा भूमि मालिक और परियोजना प्रस्तावक के बीच एक निजी इकरारनामा के तहत निश्चित की जाए । लोगों का यह भी मांग है मुआवजा राशि के अतिरिक्त सतत आय के लिये वार्षिक रकम, वार्षिक बढोतरी के साथ आगामी 40 वर्षो तक दिया जाये । हरियाणा सरकार ने यह नीति अपनाई है । अतः इस नीति को यहां भी लागू किया जाये ।	किया जाएगा।
	26.) कैट प्लान व कम्पन्सेटरी एफोरैस्ट्रेशनः- परियोजना की ई0एम0पी0 रिपोर्ट के अध्याय-1 व 2 में कम्पन्सेटरी एफोरेस्ट्रेशन व कैट प्लान का ब्यौरा दिया गया है, लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में कौन से स्थलों में कौन से कार्य क्रियान्वित किया जाएगा उसका उल्लेख नहीं है । इन दोनों कार्यक्रमों में सर्वे द्वारा स्थलों का चयन करना और उन स्थलों पर कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा, उसको दर्शाना आवश्यक होता है और इन कार्यक्रमों का वर्षवार लक्ष्य निर्धरित करना भी अत्यन्त आवश्यक है । इन कार्यक्रमों को ई0एम0पी0 में दर्शाया नहीं गया है । अतः सुझाव है कि इन दोनों योजनाओं का संशोध्न किया जावे ।	कैट प्लान पर आने वाले खर्च का वार्षिक ब्यौरा EMP Report की टेबल नं0 2.9, Page No.2.21 पर दिया गया है तथा प्रस्तावित CAT Measures Fig.2.5 में दर्शाए गए है। पौधारोपण के लिए स्थान का चयन वन विभाग द्वारा किया जाएगा।
	27.) बाहरी मजदूरों का स्वास्थ्य जांचः- किन्नौर में एक साथ अनेक परियेजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है/चलने वाला है जिसमें एक परियोजना में 3000 से 7000 तक बाहरी मजदूर कार्यरत होंगे । यह मजदूर अपने साथ अनेक प्रकार के छूत की बीमारियाँ लाने की सम्भावनायें है और इस क्षेत्रा में ये बीमारियां व्यापक रूप से फैल सकता है । इन परिस्थितियों से निपटने के लिये यह आवश्यक है कि किन्नौर में प्रवेश करने वाले सभी मजदूरों व कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच हो और पहचान पत्र जारी कर दी जाये तथा यह भी सुनिश्चित की जाये कि इनकी पंजीकरण सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों ध्व ग्राम पंचायतों में अनिवार्य तौर पर हो ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सभी मजदूरों एंव कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच की जाएगी। और सभी का पहचान पत्र बनाया जाएगा।
	28) रोजगारः- परियोजना निर्माण में सृजित प्रत्येक श्रेणी (कैडर) में 25% आरक्षण स्थानीय प्रभावित क्षेत्रा के लोगों को मिलना चाहिए । परियोजना प्रभावित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को परियोजना में नौकरी मिलनी चाहिए । यहां के पढ़े-लिखें नौजवानों जो तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन वे शैक्षणिक व अन्य योग्यतायें पूरी करते हों उन्हें नौकरी में भर्ती कर "औन दि जौब ट्रेनिंग" दी जाये । परियोजना प्रस्तावक प्रभावित क्षेत्रा के उम्मीदवरों को परियोजना निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व आई0टी0आई0 पौलिटैक्निक आदि संस्थानों में प्रशिक्षण के लिये नियुक्त करें और उन्हें छात्रावृति प्रदान करें ।	हि0प्र0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत ही लोगों को रोजगार दिया जायेगा व प्राथमिकता परियोजना प्रभावित परिवारों को ही दी जायेगी

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	29) <u>परिवार की व्याख्या</u>:- परिवार में 18 वर्ष से ऊपर के व्यस्क, को अलग परिवार माना जाये और उसे पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का पूरा लाभ दिया जाये । यह व्यवस्था नर्मदा घाटी परियोजनाओं व टिहरी बांध परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना में स्वीकार किये गये हैं । परियोजना प्रभावित परिवार की परिभाषा में उन परिवारों को भी शामिल किया जावे जिनके वन अधिकार व अन्य अधिकार प्रभावित होते हों ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस पर HPPCL की स्वीकृत नीति में ऐसा कोई प्रावधान नही है परन्तु इस मुदे पर अतिरिक्त जिलाधीश जिला किन्नौर ने आवशसन दिया कि इसे राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा जाएगा।
	30.) <u>रेता, बजरी</u>:- यदि परियोजना निर्माण के कारण विशेष कर मक डम्पिंग तथा डूब क्षेत्रा (Submergence Area) से प्रभावित क्षेत्रा के लोग रेता, बजरी प्राप्त करने से वंचित हो जाते हों तो उन्हें ग्राम पंचायत के सिफारिश पर उनके आवश्यकतानुसार रेता, बजरी की आपूर्ति परियोजना प्रबन्ध्न द्वारा की जावे और यदि परियोजना प्रबन्ध्न रेता, बजरी पूर्ति करने में असमर्थ होता है तो उन्हें नकद राशि परियोजना प्रबन्ध्न द्वारा दी जावे । इकरारनामा द्वारा यह भी सुनिश्चित की जावे कि यह व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक आगामी 40 वर्षों तक निर्विघ्न लोगों को उपलब्ध् कराता रहें ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक परिवार को दो कमरो के निर्माण के लिए एक बार रेता व बजरी मुफत मिलेगा।
	31.) <u>अधोसंरचना विकास कार्यक्रम (Infrastructure Development Programme)</u>:- परियोजना प्रस्तावक को, लाडा के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करना होता है । इन विकास कार्यक्रमों के लिये जो ध्नराशि खर्च किये जायेंगे वो रकम 1-5% लाडा के अन्तर्गत दिये जाने वाले रकम के अतिरिक्त होंगे । परियोजना प्रस्तावक ने शौंगठोंग-करछम परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजना (R&R Plan) के 8-4 में केवल यह जिक्र किया है कि लाडा के अतिरिक्त अधेसंरचना कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे, परन्तु इसका विस्तृत योजना नहीं बनाई गई है । अतः इस योजना के तहत लिये जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तार पूर्वक चर्चा होना चाहिए और परियोजना प्रस्तावक इन कार्यक्रमों पर कितनी ध्न राशि खर्च कर रही है । इसको भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लोगों की मांग के अनुरुप अधोसंरचना विकास पर विचार किया जाएगा।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	32).<u>परियोजना निर्माण के दौरान होने वाली क्षति की भरपाई</u>:- परियोजना निर्माण के दौरान अनेक प्रकार के गतिविध्यिों के कारण वायु, जल व भूमि प्रदूषित होगे, जिससे प्रभावित क्षेत्रा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उस क्षेत्रा में उत्पन्न होने वाले फल व अन्य खाद्यानों का उत्पादन तथा जैवविविध्ता पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगे । ई0आई0ए0 व ई0एम0पी0 में इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है और न ही होने वाले नुकसान की भरपाई बारे कोई प्रावधन किया गया है । अत: हमारा सुझाव है, इस बारे एक विस्तृत खुलासा किया जाना चाहिए, अन्यथा लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है । ई0आई0ए0 व ई0एम0पी0 में जलाशय के कारण आस-पास के क्षेत्रों में जो प्रभाव पडेगा उसके बारे न कोई चर्चा किया गया है और न ही अधोप्रवाह में नदी के Diversion के कारण जो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा उसका भी कोई वर्णन किया गया है । अत: हमारा सुझाव है कि इन महत्व पूर्ण विषयों पर भी गम्भीरता से विस्तृत अध्ययन किया जावे और होने वाले सम्भावित दुष्प्रभावों के निवारण बारे कोई उपाय ढूंढा जावे । उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर इम अधेहस्ताक्षरित ग्रामीण महोदय से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त सभी मुद्दों पर जन सुनवाई में विस्तृत चर्चा की जावे और इन मुद्दों को EIA, EMP तथा R&R Plan में शामिल कर इन दस्तावजों का संशोध्न किया जावे और संशोध्ति दस्तावजों पर दुबारा जन सुनवाई की जावे । यदि इन अन्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दों का नजर अंदाज कर सरकार इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental clearance) देती है । तो हम प्रभावित क्षेत्रा के ग्रामीण इस परियोजना का तीव्र विरोध करेंगे । **प्रतिलिपी Annexure No. 3 में संलग्न है।**	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इसका अध्ययन किया जाएगा और यदि कोई परियोजना निर्माण से क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी।
5.	**<u>श्री नगेन्द्र सिंह , ग्राम पवारी</u>** -पवारी गांव के लोग बजीरे आजम की जमीन पर बसर कर रहे हैं। हमें इसका मालिकाना हक मिलना चाहिये। -पवारी गांव त्रासदी गांव है । यहां पर प्राकृतिक आपदा आती रहती है, इसको नियन्त्रिंत कैसे किया जाये इसका अध्ययन होना चाहिए। -पौधे लुप्त हो रहे हैं। नरेगा की तर्ज पर वृक्षारोपण गाववासियो के द्वारा ही होना चाहिए। -अनमोल बोद्ध स्मारक नदी किनारे पर है इन्हें गांव में सुरक्षित रखा जाए। **प्रतिलिपी Annexure No. 4 में संलग्न है।**	कोई टिप्पणी नही प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन रिर्पोट बनाई जाएगी। कोई टिप्पणी नही परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

6.	**पूरण सिंह,ग्राम पवारी** - डम्पींग स्थल डैम के साथ नही होना चाहिए ये एक - दो किलो मीटर की दूरी पर होना चाहिए। LADFका पैसा सीधा गांववासियों को ही मिलना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि निर्धारित जगह पर ही डम्पींग की जाएगी कोई टिप्पणी नही
7.	**बलदेव सिंह,गांव पवारी** - तांगलिंग गांव में 74 परियोजना प्रभावित परिवारों को लिया है जबकि मकान और बगीचे पूरे गांव के खतम होने वाले है इसलिए पूरे गांव को परियोजना प्रभावित परिवारों की श्रेणी में लेना चाहिए और पहचान पत्र प्रदान किये जाने चाहिए।	कोई टिप्पणी नही
8.	**शांति स्वरुप, गांव खवांगी** - जलाश्य की परिधि पर RCC wall लगनी चाहिए ताकि खवांगी गांव को सुरक्षित रख सकें।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि RCC wall के सुझाव पर अमल किया जाएगा।
9.	**देवेन्द्र सिंह,गांव रोगी** - डम्पींग Site No. 5. रोगी गांव के सामने है जिससे गांव प्रभावित होगा अत: रोगी गांव को योजना प्रभावित क्षेत्र में लिया जाए।	कोई टिप्पणी नही
10.	**रामा नन्द, गांव उरनी** - बांध बनने से हमारा रेता,बजरी खत्म हो जाएगा अत: इसके लिए H.P.P.C.L. से समझौता होना चाहिए और रेता, बजरी मुफत में मिलना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक परिवार को दो कमरो के निर्माण के लिए एक बार रेता व बजरी मुफत मिलेगा।
11.	**भाग चन्द गांव कल्पा** - Flowering के दौरान क्रैशर को बंद रख सकते हो य नहीं यदि नही तो हमारी फसलों की नुकसान की भरपाई परियोजना प्रबंधको द्वारा की जाएगी।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि Flowering के दौरान क्रैशर को बंद नही किया जाएगा यदि कोई परियोजना निर्माण से क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी।
12.	**मोहेन्द्र सिंह नेगी, गांव तांगलिंग** - वन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा धारको को मुवावजा दिया जाएगा या नहीं।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सरकार के माप दण्डो के अनुसार मुवावजा दिया जाएगा।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

13.	<u>**जय कृष्ण नेगी, गांव कल्पा**</u> - कैट प्लान का पैसा पंचायत को दिया जाना चाहिए और पौधारोपण भी पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। - किन्नौर की 60,000 की आवादी को परियोजना प्रभावित परिवार की सूची में लाया जाए	कोई टिप्पणी नही कोई टिप्पणी नही
14	<u>**सत्य जीत नेगी**</u> - डैम बनने से नमी ज्यादा बढ जाएगी जिससे Flowering पर नुकसान पडेगा। - सलतुज नदी पर छोटी-2 परियोजनाएं होनी चाहिए बडी परियोजनाए नही होनी चाहिए। -किन्नौर के लिए 5 MW कर जरुरत है जो कि मुफ्त मिलनी चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अध्ययन किया जाएगा यदि कोई नुकसान होता तो उसकी भरपाई की जाएगी कोई टिप्पणी नही कोई टिप्पणी नही

जन.सुनवाई के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने अपने सम्बोधन में परियोजना प्रस्तावकों को निर्देश दिए कि इस जन. सुनवाई में जो लोगों ने अपनी समस्यायें व सुझाव रखे हैं उनका निवारण शीघ्र.अतिशीघ्र किया जाए ?

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)
अतिरिक्त जिलाधीश,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29.07.2009 को हिमाचल प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटिड, शौंगठौंग करच्छम (पवारी-रल्ली) परियोजना (402 मैं0 वा0) की जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही का विवरण

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29.07.2009 को प्रातः 11.00 बजे शौंगठौंग करच्छम जल विद्युत परियोजना गांव रल्ली प्रागंण, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर में जल विद्युत परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.सी. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अंतर्गत निधारित प्रकिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिलाधीश किन्नौर की अध्यक्षता में किया गया । इस जन.सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक.1 पर उपलब्ध हैं । सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदुषण नियंत्रंण बोर्ड, के प्रतिनिधि द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जन समुदाय को अवगत करावाया गय। उपस्थित जन समुदाय को कहा कि वो इस जन सुनवाई में निर्भय होकर अपने विचार, आपत्तियां व सुझाव रखें । इसके बाद परियोजना प्रस्तावकों एवं उनके तकनीकी परामर्शदाता के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में भी अवगत करवाया। अंत में कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि ने उपस्थित जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में सहयोग मांगा तथा कार्पोरेशन द्वारा क्षेत्र के विकास में यथासम्भव सहयोग दिए जाने को कहा तथा उपस्थित जनता के प्रति आभार व्यक्त किया ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई आरंभ की गई । इस जन सुनवाई में उठाए गए मुद्दों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है ।

कमांक	मुद्दे	उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणी
1.	श्री बी0 एस0 मेहता, ने निम्नलिखित मुदत्दे उठाए ।	
	1) परियोजना निर्माण के दौरान अनेक प्रकार की गतिविधियों के कारण वायु, जल व भूमि प्रदूषित होंगे जिससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों के स्वास्थय के साथ साथ उस क्षेत्र में उत्पन होने वाले फल व अन्य खाद्यानों उत्पादन तथा जैवविधिता पर गम्भीर प्रभाव पडेगा किन्तु इन सभी से होने वाले नुक्सान की भरपाइ को HPPCL ने कोई भी प्रावधान किया है । अतः परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिर्पोट में इसकी भरपाई का हल निकालने पर आवश्यक पग उठाए जाएं ।	पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) में वायु, जल व भूमि प्रदूषित का विवारण दिया गया है जिसको रोकने के लिए उचित सुझाव पर्यावरण प्रबन्धन योजना (EMP) में प्रस्तुत किये गए हैं । जिनके अपनाने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव बगीचों व फसल पर नहीं पडेगा। यदि ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो उसकी भरपाई परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।
	2) इस परियोजना क्षेत्र में 2 कैशर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान है । अतः इस प्लांट से होने वाले प्रदूषण से हमारी पंचायत में स्थित मेबर तथा रल्ली गांव को होने वाली क्षति की पूर्ति का प्रावधान करना अति आवश्यक है ।	इस परियोजना क्षेत्र में 2 कैशर प्लांट लगाए जाने का प्रावधान है । जिसके चयन को अन्तिम रुप अभी तक नहीं दिया गया है । चयन हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप किया जाएगा ।
	3) परियोजना निर्माण के कारण वायु प्रदूषण से फल तथा फसलों पर कुप्रभाव पडेगा । इसके अतिरिक्त मनुष्य तथा अन्य जीव जन्तुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा । अतः परियोजना प्रबन्धन का परम कर्तब्य बनता है कि इस सभी तथ्यों पर भी जनता को विश्वास में लाया जाना जरुरी है ।	पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA) में वायु, जल व भूमि प्रदूषित का विवारण दिया गया है जिसको रोकने के लिए उचित सुझाव पर्यावरण प्रबन्धन योजना (EMP) में प्रस्तुत किये गए हैं । जिनके अपनाने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव बगीचों व फसल पर नहीं पडेगा । परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि जनता को विश्वास में लिया जाएगा है ।
	4) इस परियोजना से निकलने वाला मलवा निवारण के लिए स्थल का चयन सही किया जाए ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद खडा न हो ।	परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि मलवा चयनित स्थान पर ही गिराया जाएगा ।
	5) भूमिगत सुरंगो के निर्माण में भारी ब्लासटिंग के कारण इस परियोजना के अतयन्त सेवंदनशील भू-भाग को भारी क्षति पहुंचने का अनदेशा है । अतः भूमिगत सुरंगों का निर्माण TBM द्वारा किया जाए । ताकि भूमिगत सुरंगों के ऊपर स्थित गांव व संसाधनो को क्षति होने से बचाया जा सके ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भौगोलिक आंकलन के आधार पर टी0बी0एम0 के प्रयोग पर विचार किया जाएगा।
	इस भूमिगत सुरंग से विशेषकर तालिंगपी-कोगरंग, बारंग तथा मेबर गांव पर विशेष प्रभाव पडेगा । क्योंकि 8.02 कि0 मी0 सुरंग किन्हीं 4 गांव के बिलकुल नीचे से गुजर रही है । अतः HPPCL से आग्रह है कि पवारी बारंग तथा मेबर पंचायत	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया इन सब पंचायतों की आवश्यक मार्गो की पूर्ति पर विचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा ।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	की समस्त जनता की अभूतपूर्व चिंताओं पर गौर फरमा कर इन सब पंचायतों की आवश्यक मागों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किया जाए अन्यथा संयुक्त संघर्ष समिति पवारी बारंग तथा मेबर के तीनों ग्राम सभाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र HPPCL को देने में बाधा पड सकती है ।	
	6) परिवार की व्याख्या में 18 वर्ष से ऊपर के व्यसक को अलग परिवार माना जाए तथा उसे पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना का पूर्ण लाभ दिया जाए जोकि व्यस्क होने के पश्चात शादी के बाद एक ही माता पिता के चार पांच बच्चों का अपना अलग अलग परिवार होता है किन्तु जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में पंचायत के परिवार रजिस्टर में एक ही परिवार अर्थात संयुक्त परिवार की उपमा दी जाती है । यह प्रथा किन्नौर के पारिवारिक समाज एवं देव समाज को सुव्यवस्थित रखने में मद्दगार साबित होती है । वास्तव में सभी शादी शूदा दम्पति को अपनी आविजिविका तथा बाल बच्चों की देखभाल लिखाई पडाई व अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था व्यस्क होने तक करने की जिम्मेदारी निभानी पडती है । ऐसी दशा में परिवार की व्याख्या में 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यसकों को अलग परिवार की संज्ञा देने का प्रावधान किया जाए जैसे कि नर्मदा घाटी परियोजना व टिहरी बांध परियोजना की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन योजना में व्यवस्था की गई है ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस पर HPPCL की स्वीकृत नीति में ऐसा कोई प्रावधान नही है परन्तु इस मुदे पर अतिरिक्त जिलाधीश जिला किन्नौर ने आवशसन दिया कि इसे राज्य सरकार के विचारार्थ भेजा जाएगा।
	7) इस परियोजना निर्माण से विशेषकर मेबर पंचायत की जनता को रेता बजरी प्राप्त करने से वंचित रखने का 100 प्रतिशत अन्देशा है । अतः मेबर पंचायत की जनता को पंचायत सिफारिश पर उनके आवश्यकतानुसार रेता बजरी की आपूर्ति परियोजना प्रबन्धन द्वारा की जाए अगर ऐसा करने में असमर्थ हो तो नगद राशि परियोजना प्रबंधन द्वारा दिया जाने का इकरारनामा द्वारा सुनिश्चित किया जाए ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक परिवार को दो कमरो के निर्माण के लिए एक बार रेता व बजरी मुफ्त मिलेगा। जिस परियोजना प्रभावित परिवार के रेता बजरी के स्त्रोत समाप्त हो गऐ हो ।
	8) भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय जल विद्युत नीति 2008 के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए उत्पादित विद्युत का 2 प्रतिशत वार्षिक मुफ्त बिजली बतौर रोयल्टी देने का प्रावधान किया गया है अतः परियोजना प्रबन्धन को भी 2 प्रतिशत बतौर रोयल्टी देने का प्रावधान R & R Plan में शामिल किया जाए ।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह मुदृा राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं।
	9) इस परियोजना का अति संवेदनशील कार्यकलाप जैसे सर्ज शाफ्ट तथा जल विद्युत गृह (पावर हाउस) मेबर गांव के ऐन नीचे रल्ली NH -22 से 1800 मी0 अन्दर की और बनाया जाना निश्चित है । ऐसी दशा में मेबर गांव को अत्यधिक क्षति होने की सम्भावना है । मेबर गांव के अर्न्तगत फयांचांनदेन वबरो दो उप बस्तियां आती है । इन उप बस्तियों के बिलकुल ऊपर 10-11 हजार फीट की ऊँचाई पर दो चश्में हैं जिसके द्वारा मेबर फयांगचानदेन बरो तथा रल्ली नव आवादी के लिए सींचाई एवं पेयजल की योजनाए सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर 5-6 कि0 मी0 लम्बी नहर तथा पाइप लादन बिछ रखी है । उपरोक्त दो सत्रोतो के अतिरिक्त मेबर पंचायत के समसत भू भाग में कही भी किसी प्रकार का पानी का स्त्रोत नहीं है । ऐसी दशा में मेबर पंचायत के बागवानों तथा कृषकों को इस परियोजना के र्सज शाफ्ट से सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा परियोजना प्रबन्धन द्वारा देने की लिखित आश्वासन दिया जाना अति आवश्यक है इस परियोजना के सर्ज शाफ्ट के निकट बालगर खड है जिसमे गलेशियर आता है । इस नाले का पानी मेबर गांव से निचे	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी द्वारा कहा गया कि पानी के बहाव को मापा जायेगा और इसका चल चित्र (Video Graphing) निर्माण कार्य शुरु होने से पहले किया जायेगा । इस कार्य के लिए कमेटी का गठन होगा जिसमें जल विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत के प्रतिनिधि व परियोजना प्रस्तावक भी होंगे । और यदि कोई क्षति होती है तो परियोजना प्रस्तावको द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी और जल आपुर्ति की जाएगी।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	निकलता है जिसका बागवानों तथा कृषकों को कोई लाभ नहीं हैं । परियोजना प्रबन्धन इस पानी को सर्ज शाफ्ट के लगभग 500 मी0 उपर से लोहे के चार इन्च पाइपों में इस नाले का पानी लाकर रल्ली गांव को सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त स्थायी एवं अस्थायी निवास के लिए पेयजल की सुविधा इसी पानी से मिल सकता है । क्योंकि वर्तमान में रल्ली आवादी के लिए पेयजल का संकट सदैव छाया रहता है ।	
	1. पंचायतों को सड़क निर्माण में फन्ड का वितरण बारेः- खवांगी-पवारी-बारंग तथा मेबर पंचायतों को क्रमषः 3 करोड़ रू0 पवारी पंचायत को तथा अन्य तीन पंचायतों को मु0 2. 50 करोड़ रू0 देने का निणर्य लिया है। मेंबर पंचायत के निवासियो का यह कहना है कि सर्च षाफ्ट से मेंबर तक सड़क की लम्बाई 20 कि0 मी0 दर्शाया गया है। ऐसी दषा में मु0 2.50 करोड़ की राशी बहुत कम है, हमारा निवेदन है कि इस राषी को छः करोड़ रू0 किया गया है। जब कि अन्य पंचायतों के सड़कों की लम्बाई इस की तुलना में आधे से भी कम है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह धन राशी लाडा की धन राशी के अतिरिक्त है जिसे सडक निर्माण के लिय प्रयोग में लाया जाएगा। सडक निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त धन राशी दीए जाने पर विचार किया जाएगा।
	2. अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि पैरा न0 16 के अधीन बोर्ड ओफ डाईरेक्टर ने हि0 प्र0 उर्जा नि0 द्वारा लिया गया भूमि का दर मुकर्र करते समय नेगोसियन कमेटी तथा जिलाधीष के सिफारिष पर निर्भर होगा । हमारा निवेदन है कि यह राषी 1.04 लाख रू. से कम ना आंकी जावें जवा हि0 प्र0 उर्जा नि0तथा भूमि मालिक के आपसी समझोता के अनुसार निष्चित किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि भूमि का मुल्य 1.04 लाख रू. से कम नही होगा।
	3. जहाँ तक रोजगार का प्रश्न इस बारें यह कहना है कि रोजगार देते समय प्रथम परिवार द्वीतीय प्रभावित क्षेत्र तृतीय प्रभावित जोन तथा चौथा किन्नौर जिले के अभ्यार्थियों को सुरक्षित रखा जावें।	हि0प्र0 सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत ही लोगों को रोजगार दिया जायेगा व प्राथमिकता परियोजना प्रभावित परिवारों को ही दी जायेगी
	श्री जय प्रकाश नेगी गांव मेंबरः-	
	1 बलास्टींग कितने Richter Scale तक होगी	बलास्टींग वैज्ञानिक तरिके से कि जायगी तथा इस उत्पन होने वाले कंपन को मापने के लिए वैज्ञानिक यन्त्र लगाए जाएगें।
	2 गांव वालो का जो भी समझोता परियोजना प्रस्तावक के साथ होगा वही समझोता ठेकदारो पर भी लागु होना चाहिए।	गांव वालो का जो भी समझोता परियोजना प्रस्तावक के साथ होगा वही समझोता ठेकदारो पर भी लागु होगा।
	श्री जिया लाल नेगीः-	
	EIA पर जो जन सुनवाई हो रही है, क्या ऐसी जन सुनवाई SIA पर भी होगी?	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि ऐसी जन सुनवाई SIA पर भी होगी।
	प्रवासी मजदुरों को वोटींग अधिकार नही होनी चाहिए।	अतिरिक जिलादिश ने बताया कि भारतिय संविधान के अनुसार वोटींग अधिकार एक स्थान पर है और यदि उसका नाम जन्म स्थान मतदान सूचि में होगा तो उसे यहां मतदान का अधिकार नही होगा।

3

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.)

	श्री केदार चंद गांव तगलिंग:- गाडियां चलने से जो ध्वनि प्रदुषण होगा उस को कम करने का क्या प्रवधान है?	Motor Vehicle Act. में दिये गये मापदण्डो का अनुसरण किया जाएगा तथा प्रदुषण नियत्रण बोर्ड द्वारा Regular Monitoring की जाएगी तथा दोषी पाने पर अनियमो के अनुसार की कार्यवाही की जाएगी।
	बांध बनने पर कितना पानी छोडा जाएगा।	प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि 15% पानी का बहाव छोड़ना अनिवार्य है जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक को. (Online Continous Flow Measurement Device) लगाना।

Additional District Magistrate
Pooh, Distt. Kinnaur (H.P.) अतिरिक्त जिलाधीश,
जिला किन्नौर हि0प्र0-